

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION
I Floor, near Estate Branch, Department of Education
Distt. North Lucknow Road, Delhi – 110054
Ph.23810508, 23810647
Email:-spd_delhi@rediffmail.com

कम संख्या:-यू.ई.ई.एम./आई. ई./2016-17/311/1256-1279

दिनांक:- 30.08.2016

सेवा में,

उप-शिक्षा निदेशक/जिला परियोजना अधिकारी
जिला-पूर्व, उत्तर-पूर्व, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम,
दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य

विषय:- समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत "विशिष्ट आवश्यकता" वाले बच्चों (CWSN) को "यात्रा भत्ता" देने हेतु।

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत "विशिष्ट आवश्यकता" वाले बच्चों (CWSN) को 10 माह (मई 2016 से मार्च 2017 तक) के लिये "यात्रा भत्ता" (**Transport Facility**) की सुविधा देने के लिये निर्धारित कुल धनराशि 54.325 लाख (चौवन लाख बत्तीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) खर्च करने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान कराई गई है।

"यात्रा भत्ता" (**Transport Facility**) हेतु प्राप्त कराई गई कुल धनराशि में से ही जिला स्तर पर खर्च होने वाली धनराशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्र. सं.	जिला	PAB 2016-17 में recommended CWSN की संख्या	रु 250/-प्रति माह प्रति बच्चे की दर से 10 माह हेतु कुल धनराशि (मई 2016 से मार्च 2017 तक)	खर्च होने वाली कुल धनराशि
1	पूर्व	167	417500	417500
2	उत्तर-पूर्व	251	627500	627500
3	उत्तर	85	212500	212500
4	उत्तर-पश्चिम	404	1010000	1010000
5	पश्चिम	416	1040000	1040000
6	दक्षिण-पश्चिम	256	640000	640000
7	दक्षिण	399	997500	997500
8	नई दिल्ली	123	307500	307500
9	मध्य	72	180000	180000
	कुल	2173	5432500	5432500

उक्त दर्शायी गई धनराशि समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त बजट 2016-17 के अनुसार ही खर्च की जायेगी। धनराशि खर्च करने हेतु दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।


उप-शिक्षा निदेशक

(आई० ई० डी० एस० एस० एवं आई० ई०)

कम संख्या:-यू.ई.ई.एम./आई.ई./2016-17/311/1256-1279


दिनांक:- 30/08/2016

प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक (शिक्षा) ईस्ट नगर निगम दिल्ली प्लॉट न०-1824-उद्योग सदन पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली
2. निदेशक (शिक्षा) नार्थ नगर निगम दिल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेन्टर, जे.एल.एन मार्ग नई दिल्ली।
3. निदेशक (शिक्षा) साउथ नगर निगम दिल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेन्टर, जे.एल.एन मार्ग नई दिल्ली।
4. निदेशक (शिक्षा) नई दिल्ली नगर निगम, पालिका केंद्र 7वें तल, नई दिल्ली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली।
6. उप- शिक्षा निदेशक-सेन्ट्रल जोन, शिव मन्दिर मार्ग, जल विहार के पास, नई दिल्ली
7. उप- शिक्षा निदेशक-सिटी जोन, आशिफ अली रोड, मल्टीलेवल कार पार्किंग दिल्ली गेट के पास नई दिल्ली।
8. उप- शिक्षा निदेशक-सिविल लाईन जोन, 16 राजपुरा रोड सिविल लाईन दिल्ली
9. उप- शिक्षा निदेशक-करोल बाग जोन, आनन्द पर्वत खालसा कालेज के पास करोल बाग नई दिल्ली।
10. उप- शिक्षा निदेशक-नजफगढ़ जोन, गोपाल नगर, धान्सा मोड़ नजफगढ़ दिल्ली।
11. उप- शिक्षा निदेशक-नरेला जोन, नरेला पुलिस स्टेशन के पास नरेला दिल्ली
12. उप- शिक्षा निदेशक-रोहिणी जोन, सेक्टर-5 राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के पास रोहिणी दिल्ली।
13. उप- शिक्षा निदेशक-एस.पी. जोन, ईद गार्ड रोड सदर पुलिस स्टेशन के पीछे दिल्ली
14. उप- शिक्षा निदेशक-शाहदरा नार्थ जोन, केशव चौक शाहदरा दिल्ली
15. उप- शिक्षा निदेशक-शाहदरा साउथ जोन, कांती नगर दिल्ली-51
16. उप- शिक्षा निदेशक- साउथ जोन, ग्रीन पार्क उपहार सिनेमा के पास नई दिल्ली
17. उप- शिक्षा निदेशक- वेस्ट जोन, कम्यूनिटी हाल, विशाल इन्वलेव के पास दिल्ली
18. जिला समन्वयक (आई० डी० एस० एस०) जिला-(पूर्व, उत्तर-पूर्व, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
19. ब्लाक संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता, जिला-(पूर्व, उत्तर-पूर्व, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
20. सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, जिला -(पूर्व, उत्तर-पूर्व, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
21. संयुक्त निदेशक (सूचना तकनीकी), शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर अपलोड हेतु।

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ हेतु:-

1. सचिव (शिक्षा)/अध्यक्ष यू० ई० ई० मिशन के निजी सचिव।
2. निदेशक (शिक्षा)/उपाध्यक्ष यू० ई० ई० मिशन के निजी सचिव।
3. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक


30/08/2016

कार्यालय अधीक्षक
(आई० ई० डी० एस० एस०)

दिशा-निर्देश

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को यात्रा भत्ता का लाभ (Transport Facility) दिलाने के सम्बन्ध में सभी जिलों को भेजे जाने वाला दिशा-निर्देश निम्नलिखित है:-

1. जिला स्तर पर निर्धारित धनराशि के अन्दर ही धनराशि खर्च की जायेगी।
2. यात्रा भत्ता से सम्बन्धित निर्धारित धनराशि जिले स्तर से ही स्कूलों के खातों में भेजी जाएगी।
3. DoE, MCD, NDMC, DCB and Aided स्कूलों में अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में से सिर्फ Blindness, Cerebral Palsy, Autism, Multiple Disability एवं Orthopedic Impairment से प्रभावित गंभीर व अतिगंभीर बच्चों को यात्रा भत्ता का लाभ मिलेगा।
4. DoE, MCD, NDMC, DCB and Aided स्कूलों में अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले Blindness, Cerebral Palsy, Autism Spectrum Disorder, Multiple Disability से प्रभावित सभी बच्चों को यात्रा भत्ता व मार्गरक्षी भत्ता का लाभ एक साथ ही प्राप्त कराया जायेगा। Orthopedic Impairment से प्रभावित सभी बच्चों को मार्गरक्षी भत्ता (Escort Facility) का लाभ दिया जायेगा एवं Orthopedic Impairment से प्रभावित ऐसे बच्चों जो गंभीर व अतिगंभीर समस्या से ग्रस्त हैं सिर्फ उन्हें ही यात्रा भत्ता (Transport Facility) की सुविधा प्राप्त कराई जायेगी। यात्रा भत्ता हेतु रु 250/- प्रति माह प्रति बच्चे की दर से 10 माह के लिए धनराशि निर्धारित है। यह धनराशि मई 2016 से मार्च 2017 तक दी जायेगी।
5. लाभार्थी की सूची में वही बच्चे शामिल होंगे जो कक्षा I से VIII में पढ़ रहे हैं। जिला स्तर पर विभिन्न जिलों के स्कूलों में अध्ययनरत उक्त बच्चों की यथार्थिथिति का निरीक्षण एवं सत्यापन स्कूलों के HoS द्वारा किया जायेगा।
6. स्कूलों में अध्ययनरत कुल विशिष्ट आवश्यकता वाले (B, CP, Autism, MD, OI) बच्चों की संख्या के आधार पर ही सम्बन्धित स्कूलों के खातों में धनराशि निर्गत कर दी जाएगी।
7. स्कूल के HoS द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को घर से स्कूलों में लाने एवं स्कूलों से घर छोड़ने हेतु "वाहन" की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी, वाहन की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें बच्चों पूरी तरह से अपने आपको आरामदायक व सुरक्षित महसूस करें। यदि वाहन की व्यवस्था कम धनराशि के कारण नहीं हो पाती है तो HoS द्वारा नामित व्यक्ति जो बच्चे को घर से स्कूल व स्कूल से घर ले जाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा उस नामित व्यक्ति को ही यह धनराशि प्राप्त कराई जायेगी।
8. पूर्ण शैक्षिक सत्र 2015-16 में अध्ययनरत बच्चों को यात्रा भत्ता देने में वरीयता दी जायेगी, तत्पश्चात शेष धनराशि होने की स्थिति में नये बच्चों को इसका लाभ प्राप्त कराया जायेगा।
9. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समावेशी शिक्षा हेतु किसी भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (लाभार्थी) को नगद राशि प्राप्त कराने का प्रावधान नहीं है।
10. यात्रा भत्ता में खर्च होने वाली धनराशि का निरीक्षण जिला समन्वयकों (IEDSS) जिला शहरी संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
11. यात्रा भत्ता हेतु धनराशि निर्गत करने से पहले जिला परियोजना अधिकारी को लाभार्थी CWSN की सूची निम्नलिखित बिन्दुओं पर तैयार करानी है-

S.No.	District Name	Zone Id	Department	School ID	School Name	School Address	Student ID	Student Name	Gender	DOB	Father's Name	Category	Class	Disability	Residence Address

12. HoS द्वारा प्राप्त कराई गई लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप जिला परियोजना अधिकारी के स्तर पर दिया जायेगा।
13. सभी जिला परियोजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाये कि सभी लाभार्थियों से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाये ताकि माननीय SPD/MHRD अथवा अन्य नामित सक्षम अधिकारी के द्वारा आडिट कराया जा सके।

कार्यालय शिक्षा
(आई० ई० डी० एस० एस०)

उप-शिक्षा निदेशक
(आई० ई० डी० एस० एस० एवं आई० ई०)